





Dated: 16.02.2024

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण भारत सरकार

एन सीयू आई भवन, चौथी मंज़िल, 3, सीरी इंस्टीट्यूश्नल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, हौज़ खास, नईदिल्ली - 110016, दूरभाष - :49536496, 49092978 Warehousing Development and Regulatory Authority

Government of India
NCUI Building, 4th Floor, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg,
Hauz Khas, New Delhi - 110016, Tel. No. 49536496, 49092978

File No: T-COMP/1/2023-Technical 2921

To,

All warehouseman

Subject: Extension of date for submitting quarterly return to 29.02.2024.

Sir,

Please refer to WDRA Circular No. 01/2024, dated 03.01.2024 regarding "Submission of quarterly return by the warehouseman registered with WDRA" wherein it was mentioned that as per Rule 36 of Warehousing Development and Regulation Registration of Warehouses Rules, 2017, all the warehousemen are directed to submit "Quarterly Return" confirming due compliances with the Registration Rules in a prescribed format on WDRA's Portal within 30 days from the completion of reporting quarter.

It is further decided that for quarter- (October to December,2023) due date for the submission of quarterly return has been extended upto 29.02.2024.

Accordingly, it is directed to submit your quarterly return on or before 29.02.2024 failing which necessary action will be initiated as per W(D&R) Act 2007, rules & regulations made therein.

(Manish Kumar Jain) Under Secretary(A&F)







भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण भारत सरकार

एन सीयू आई भवन, चौथी मंज़िल, 3, सीरी इंस्टीट्यूश्नल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, हौज़ खास, नईदिल्ली - 110016, दूरभाष - :49536496, 49092978 Warehousing Development and Regulatory Authority

Government of India

NCUI Building, 4th Floor, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg,
Hauz Khas, New Delhi - 110016, Tel. No. 49536496, 49092978

फ़ाइल संख्याः टी-कोम्प/1/2023-तकनीकी 2921

दिनांक: 16.02.2024

सेवा में,

सभी भांडागारपाल

विषय: त्रैमासिक रिटर्न जमा करने की तिथि 29.02.2024 तक बढ़ाने के संबंध में। महोदय,

कृपया "डब्ल्यूडीआरए के साथ पंजीकृत वेयरहाउसमैन द्वारा त्रैमासिक रिटर्न जमा करने" के संबंध में डब्ल्डीआरए परिपत्र संख्या 01/2024, दिनांक 03.01.2024 का संदर्भ लें, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ वेयरहाउस रूल्स, 2017 के नियम 36 के अनुसार, सभी गोदामकर्मियों को रिपोर्टिंग तिमाही के पूरा होने से 30 दिनों के भीतर डब्ल्यूडीआरए के पोर्टल पर एक निर्धारित प्रारूप में पंजीकरण नियमों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए "त्रैमासिक रिटर्न" जमा करने का निर्देश दिया जाता है।

इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर, 2023) के लिए तिमाही रिटर्न जमा करने की नियत तारीख 29.02.2024 तक बढ़ा दी गई है।

तदनुसार, यह निर्देशित किया जाता है कि अपना त्रैमासिक रिटर्न 29.02.2024 को या उससे पहले जमा करें, अन्यथा डब्ल्यू (डी एंड आर) अधिनियम 2007, उसमें बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

(मनीष कुमार जैन)

Field La

अवर सचिव (ए एवं एफ)